भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 1934
गुरुवार, 30 जुलाई, 2026/8 श्रावण, 1948 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

विमान किराए के रुझान की निगरानी

1934. श्री ससिकांत सेंथिलः

श्री रमासहायम रघुराम रेड्डीः

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या डायनेमिक मूल्य निर्धारण के तहत अधिकतम यात्री संख्या द्वारा यात्रा अवधि, त्योहारों, आपात स्थितियों या उच्च मांग की अन्य अवधि के दौरान कुछ घरेलू मार्गों पर विमान किराए में भारी वृद्धि होती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार या नागरिक विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) एयरलाइनों द्वारा लिए जाने वाले विमान किराए के मार्ग-वार रुझान और किराया बैंड की निगरानी करता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रकार की निगरानी के लिए क्या तंत्र मौजूद है और पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक के दौरान उच्च या अत्यधिक विमान किराए के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या असामान्य मांग की अवधि के दौरान किराए के युक्तिकरण के संबंध में एयरलाइनों को कोई परामर्श, निर्देश या परामर्श-पत्र जारी किए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो एयरलाइनों की परिचालन व्यवहार्यता को बनाए रखते हुए यात्रियों को किराए में अनुचित वृद्धि से बचाने के लिए उठाए गए कदमों के साथ-साथ तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) : एयरलाइनों द्वारा स्थापित हवाई किराए गतिशील प्रकृति के होते हैं और बाजार, माँग, सीजनैलिटी, प्रचलित अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य और अन्य बाजार कारकों को ध्यान में रखते हुए एयरलाइनों द्वारा निर्धारित किये जाते है। एयरलाइन किराया प्रणाली विविध स्तरों (बकेट या आरक्षण बुकिंग डेजिग्नेटर) में चलती है जो वैश्विक स्तर पर अपनाई जा रही प्रक्रिया के अनुरूप हैं। सीटों की माँग में वृद्धि होने के साथ हवाई किराया बढ़ जाता है क्योंकि कम किराया बकेट तेजी से बिक जाते हैं और उच्चतर किराया बकेट में आगे बढ़ जाते हैं। एयरलाइनों द्वारा अपनाया गया गतिशील मूल्य निर्धारण फ्रेमवर्क, कभी-कभी यात्रियों को प्रचलित बाजार परिस्थितियों के आधार पर, व्यस्ततम यात्रा अवधि के दौरान या प्रस्थान की तारीख के निकट बुकिंग करने पर अधिक किफायती किराया प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।

(ख और ग) : यह सुनिश्चित करने के लिए कि एयरलाइनें उनके द्वारा घोषित सीमा से बाहर हवाई किराया न वसूलें, नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) में टैरिफ निगरानी इकाई (टीएमयू) की स्थापना की गई है, जो मासिक आधार पर एयरलाइन वेबसाइटों का उपयोग

करके यादृच्छिक तरीके से चयनित 78 मार्गों (72 घरेलू और 06 अंतरर्राष्ट्रीय) पर हवाई किराए की निगरानी करती है। 72 घरेलू मार्ग लगभग 27% घरेलू यातायात कवर करते हैं। ऐसा करके, टीएमयू एयरलाइनों के निर्धारित टैरिफ की सीमाओं के भीतर हवाई किराया स्तर को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। घरेलू एयरलाइनों द्वारा लगाए गए अत्यधिक हवाई किराए से संबंधित चिंताओं के समय पर निवारण के लिए, नागर विमानन मंत्रालय (एमओसीए) ने जुलाई, 2025 से एयरसेवा प्लेटफॉर्म पर समर्पित "हवाई किराया" शिकायत मॉड्यूल विकसित किया है। डीजीसीए को प्राप्त हुई शिकायतों की संख्या का विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	शिकायतों की संख्या
जुलाई-दिसंबर, 2025 -	394
जनवरी-जुलाई (आज की तारीख तक), 2026 -	315

(घ और ङ): विनियमनमुक्त विमानन बाजार में, सरकार बाजार प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए आमतौर पर हवाई किराए को विनियमित करने से दूर रहती है, तथापि, वह सतर्क रहती है, और बाजार में मूल्य निर्धारण अनुशासन को बनाए रखने और एयरलाइनों द्वारा किसी भी अवसरवादी मूल्य निर्धारण प्रक्रिया को अपनाने से रोकने के लिए अपवादात्मक परिस्थितियों में हस्तक्षेप करती है। कोविड महामारी, महाकुंभ जैसे त्योहारों या पहलगाम घटना और इंडिगो उड़ान व्यवधान जैसी अन्य असाधारण परिस्थितियों के दौरान सरकार द्वारा उड़ानों में वृद्धि, विभिन्न क्षेत्रों में क्षमता का पुनर्वितरण और अस्थायी किराया सीमा लागू करने जैसे उपाय किये जाते हैं।
